HEIDELBERGCEMENT

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Registered Office 2nd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurugram, Haryana 122002, India Phone +91-124-4503700 Fax +91-124-4147698 Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2023-24

23 August 2023

BSE Ltd. Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code:500292

Trading Symbol: Heidelberg

Dear Sir,

Sub: Copy of Notice advertisement regarding Annual General Meeting

We have published a Notice advertisement in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) informing the shareholders / investors that in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, the 64th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on 27 September 2023 at 11.00 A.M. and record date for eligibility to attend AGM and receive Dividend for FY23 is 20 September 2023.

Copies of the published newspaper advertisements are enclosed. Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For HeidelbergCement India Limited

Rajesh Relan Sr. Vice President-Corporate Affairs & Company Secretary

Encl.: a.a.





Second half of the year will be closely watched, say brokerages

Mumbai, 21 August

 \neg ollowing the firstquarter results of fastconsumer goods (FMCG) firms, all eyes are now on rural recovery and volume growth. In their commentary after the 2023-24 April-June quarter results, FMCG companies have discussed signs of recovery in rural demand, which was impacted for over a year due to inflation.

Brokerages are pointing out that the second half of the year will be closely watched.

"Easing inflation, higher government spending, and increased urban remittances will define future growth momentum in rural regions. However, the impact of El Niño needs to be keenly watched," stated Securities in its report.

Broking firm Centrum also mentioned in its report the need to monitor tepid rural recovery. A sharp rise in minimum support price and a surge in private consump-tion, as indicated by recent gross domestic product data, seems to suggest that the worst of low rural demand is ending and rural markets are expected to rebound.

Companies resorted to price cuts in the quarter as inflation eased, leading to margin improvement.

"We expect the improve- in its report. ment in the margin trajectory to continue. However, price anniversaries will continue to drag revenue growth in the near term. Companies have started implementing price cuts to pass on some benefits of easing input costs and revive volumes, but volume growth is expected to be gradual," IIFL Securities said



MOVING ON

	•					
	Net sales (₹ crore)		PAT (₹ crore)			
	Jun ' 23	chg(%)*	Jun'23	chg(%	(a)*
ITC	17,033.2	-7.2		5,104.9	16.3	
HUL	15,267.0	6.3		2,554.0	7.3	
Varun Beverages	5,611.4	13.3		993.8	26.2	
Nestlé	4,619.5	15.0		698.3	36.9	
Britannia	3,969.8	8.6		457.6	35.6	
Tata Consumer	3,741.2	12.5		316.6	23.9	
Godrej	3,417.9	10.5		318.8	-7.6	
Dabur India	3,130.5	10.9		463.9	5.4	
United Spirits	2,667.8	10.3		476.7	79.1	
Marico	2,477.0	-3.2		427.0	15.1	
United Breweries	2,274.8	-6.7		136.2	-16	
Colgate-Palmolive	1,314.7	10.8		273.7	30.5	
Radico Khaitan	953.9	25.9		68.3	10.1	
Emami	825.7	6.8		137.7	86.5	
Total	67,304.4	4		12,427.5	17.3	
*(Y-o-Y); PAT: Profit after tax Source: Capitaline; compiled by BS Research Bureau						

Axis Securities also stated in its report that most consumer staples companies under its coverage have indicated sustained signs of rural recovery.

"Moving forward, volume growth is also likely to pick up in rural areas," the report said.

Hindustan

(HUL), in its outlook after results, expressed the expectation of a volatile near-term operating environment with rainfall-related risks.

"We need to be watchful of the progress of monsoon and any impact of El Niño on cropping and rural demand. We expect market volumes to recover gradually due to high entering the market as com-

tion habits typically recover with a lag," said Ritesh Tiwari, chief financial officer of HUL, in a press conference after results.

While discussing the outlook for the next couple of quarters, Tiwari expected price growth to further tail off, with high prices and sequential price reductions.

If commodities remain at their current levels, HUL expects its price growth to be nearly flat or marginally negative for the next few quarters. With inflation moderating, competitive intensity is likely to go up further.

During the June quarter, gross margins expanded as material

decreased. "Aggregate gross margin (excluding input tax credit) saw a substantial year-onyear expansion of 298 basis points (bps) during the quarter (+ 72 bps in fourth quarter), led by easing of key raw material prices," IIFL Securities said in its sector review.

Axis Securities also said in its note that gross margins across staples companies continue to improve as key raw material prices, such as crude oil, palm oil, and packaging material, remain stable.

"However, an increase in advertising spends to regain market share will slow down earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation margin expansion, though it will be beneficial in the long run," the brokerage noted.

FMCG companies also pointed out that competitive intensity has heightened in the sector due to local players levels of cumulative inflation modity costs have corrected.

Higher EMI or longer tenure? Go by your financial wherewithal

A floating-rate loan appears to be a better bet than its fixed-rate peer at present

SANJAY KUMAR SINGH

On August 18, 2023, the Reserve Bank of India (RBI) issued a circular titled "Reset of floating interest rate on equated monthly instalments (EMIs)-based personal loans". Experts say that the latest rulings will make the resetting of rates more transparent and allow greater choice to borrowers.

Give options to borrowers

Earlier, when the reporate went up, banks would increase the tenure. When the headroom for increasing the tenure got exhausted, they would increase the EMI. All this would happen automatically.

The RBI has now made it mandatory for banks to ask borrowers which of the three options they prefer: higher EMI, longer tenure, or a combination of the two. "Many borrowers who have the financial wherewithal can now opt for an increase in EMI so that they are able to pay off the loan within the stipulated tenure and save on interest cost," says Adhil Shetty, chief executive officer (CEO), BankBazaar.

A higher EMI, however, means less financial flexibility. Says Anuj Sharma, chief operations officer, India Mortgage

Guarantee Corporation (IMGC), "The higher monthly burden would impact free cash flow and the borrower's ability to invest for other goals."

Elongating the tenure means more cash in hand, and greater flexibility to spend or invest, but results in a higher interest cost. Borrowers must look at their financial ability when making a choice.

Option to switch to a fixed-rate loan RBI has made it mandatory for banks to

offer borrowers the option to switch to a fixed-rate loan whenever interest rate is

Currently, only a handful of lenders offer fixed-rate loans. Pricing the risk of

NO PENAL INTEREST TO BE PAID

Suppose a borrower has an EMI of, say, ₹100, and his interest rate is 8%

bank levies a fine of ₹10; this is the penal charge

Many banks were, in addition, charging a penal interest; in this example, if the penal interest was 100 basis points, the borrower's interest rate would go from 8 to 9%

RBI has said that levy a penal charge, they can't levy a penal rate

▶ Banks can also not capitalise the penal charge

If the penal charge of ₹10 is not paid and the borrower defaults for a second month, the penal charge can increase from ₹10 to ₹20, but it can't be added to the principal (the principal can't go from ₹100 to ₹110)

a fixed-rate loan over a 20-30-year tenure

To factor in this risk, fixed-rate loans are expensively priced. "Their interest rates are at least 2.5-3 percentage points higher than that of floating-rate loans," says Sharma.

Fixed-rate loans, though, have their benefits too. "They offer peace of mind. Borrowers know that their monthly outgo will remain constant and they will be able to repay the loan by a fixed date," says Sharma. However, remember that lenders are allowed to charge a prepayment fee in these loans.

Experts currently favour sticking to a floating-rate loan. "Why lock into a fixed-rate loan when interest rates are

on the higher side? Moreover, they could start descending in a few months," says Shetty.

The fixed-rate option should be examined when interest rates are near the bottom of the cycle. "Even at that point, borrowers should do detailed calculations to see which of the three options is most attractive: staying in the floating-rate loan

and prepaying; refinancing and moving to a lower-cost floating-rate loan; or moving to a fixed-rate loan that is 2.5-3 percentage points higher."

The repo rate has gone up by 250 basis points in the current cycle. While loan rates of existing borrowers have gone up by the same amount, rates on new loans have increased by a lesser

amount as several banks have reduced the spread on their loans. Borrowers (especially those on loans linked to older benchmarks) must examine the option to refinance.

Few borrowers allow their loans to run the full 20-year course. "Most prepay within 7-10 years. Therefore, it may not make much sense to pay a much higher rate of interest if you are planning to prepay and pay off the loan early," says Deepesh Raghaw, a Securities and Exchange Board of India or Sebi-registered investment advisor.

In the case of a fixed-rate loan, check whether it is fixed for the entire tenure. "Many such loans have a fixed rate for only the first few years," says Raghaw.

Make simple account statementavailable

The RBI has asked banks to make a simple account statement available at the end of each quarter. This statement must include the following

information: principal and interest recovered to date, EMI, number of EMIs left, and the annualised rate of interest or the annual percentage rate for the entire loan tenure. "The RBI is basically saying that the

key terms and conditions of a loan should not be hidden in the fine print," says Shetty. Raghaw suggests that borrowers

check their statements regularly and stav informed about their loan's key parameters.

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Regd. Office: 2nd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurugram, Haryana -122002 Phone: +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698,

Email-id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com NOTICE

. Annual General Meeting (AGM): Notice is hereby given that the 64th Annual Genera Meeting of the Members of the Company will be held at 11.00 A.M. on Wednesday, the 27 September 2023 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. in compliance relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"

The Annual Report for the financial year 2022-23, comprising the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended 31 March 2023, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only through email to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will also be available on the Company's website www.mycemco.com and websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and ational Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.co</u> respectively. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting will be provided in the Notice of AGM. If your email-id is already registered with the Company or your Depository Participants, login details for e-voting will be sent shortly on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/Depository Participants, please follow below instructions to register your email-id for obtaining soft copy of Annual Report and login details for e-voting:

Physical holding | Send a request to the RTA at irg@integratedindia.in providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address along with duly filled Form ISR-1 prescribed by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16 March 2023. Following additional details may be provided in case you wish to update

details of your bank account for facilitating direct credit of Dividend for FY23 in your bank account:

- a) Name of the Bank and branch address.
- b) Type of Bank Account.
- c) Bank Account Number after implementation of Core Banking Solution.
- d) 9 digit MICR Code Number e) 11 digit IFSC Code.
- f) Scanned copy of a cancelled cheque bearing the name of the

Please contact your Depository Participant (DP) for registering your Demat holding email address and updating bank account details in your dema account, as per the procedure advised by your DP. . Record Date for AGM and Dividend Entitlement: The Company has fixed Wednesday

20 September 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the members entitled to attend the AGM and receive dividend of Rs. 7 per Equity Share of Rs. 10 each (i.e., 70%) for the financial year 2022-23. The dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the members within thirty days from the date of AGM. Members may note that in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 ("the Act") the Company will deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of

dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, the members are requested to submit requisite documents in accordance with the provisions of the Act at the For HeidelbergCement India Limited

Rajesh Relan Sr. Vice President-Corporate Affairs & Place: Gurugram Date : 21 August 2023 Company Secretary

CARGOSOL LOGISTICS LIMITED

CIN: L63000MH2011PLC214380

Regd. Office: Unit No 319, 320, 3rd Floor, Lodha Supremus, Mahakali Caves Road Near Bindras Hotel, Andheri (East), Mumbai-400069 Tel.: +91-22-6612 6000; E-mail: care@cargosol.com; Website: https://cargosol.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE **COMPANY NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, September 12, 2023 at 01.00 p.m. IST in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI Listing Regulations) and MCA Circular 05" May 2022 read with circulars 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 28th September, 2020, 31th Secember, 2020 and 13th January, 2021 (to transact the business set out in the Notice to the AGM. The deemed venue for the AGM wil be the registered office of the company.

The Notice convening the AGM along with the Annual report for FY 2022-23 2023 to the member's whose email address are registered with the Depository Participants ("DP's")/Company/ Registrar & Share transfer Agent viz Link Intime India Private Limited ("RTA"). The notice and Annual Report are also available on the website of the company at https://cargosol.com/ and www.bseindia.com additionally the notice is also available on the website of Link Intime India Private Limited (agency providing the remote e-voting facility and e-voting during the AGM) at www.instavote.linkintime.co.in All the documents referred in the notice are available for inspection electronically from the date of dispatch of the Notice till Monday, 21 September, 2023. Members seeking to inspect such documents are requested to write to the company at care@cargosol.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 06th September 2023 to Tuesday, 12th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company. Members holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date of Tuesday, September 05, 2023 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Link Intime India Private Limited from a place other than the venue of the AGM (remote e-Voting). In Compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretaria Standards and Regulation 44 of the SEBI Regulations the facility for e by the Company through Link Intime India Private Limited.

The remote e-Voting shall commence on Saturday, 09th September, 2023 a 09.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 11th September, 2023 at 05.00 p.m (IST). The remote e-Voting module will be disabled thereafter. Once the vote is cast by the member on a resolution, member shall not be allowed to change the same subsequently.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not entitle

Members who are present at the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure and instructions for e-voting during the AGM is mentioned in the notice.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a membe of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e Tuesday, September 05, 2023 may obtain the logir ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in However, if a person is already registered then existing user ID and password can be used for casting vote.

The detailed procedure and instructions for casting vote through remote e voting or e-voting during the AGM for all members, including member whose email addresses are not registered with the (DP's/Company/RTA) are stated in the notice. This advertisement shall also be available on Company's website a

https://cargosol.com/ and also on Stock Exchange's website at By Order of Board of Directors

For Cargosol Logistics Limited

Roshan Rohira Date: 21st August 2023 **Managing Director**

TENDER CARE -

YOUR


MONEY

— Advertorial

SHRI RAKESH KUMAR JAIN, DIRECTOR (FINANCE), GAIL (INDIA), WINS PRESTIGIOUS 'CFO LEADERSHIP AWARD'

Shri Rakesh Kumar Jain, Director (Finance) of GAIL (India) Limited, has been honoured with the prestigious 'CFO Leadership Award' by CMO Asia. The award was presented at

the 14th Edition of CMO Asia Awards ceremony held in Singapore recently. A Cost and Management Accountant by profession, Shri Jain joined GAIL in 1992 as a Management Trainee and has been part of growth trajectory of the company. Prior to his appointment as Director (Finance), Shri Jain held the position of



PARMINDER CHOPRA TAKES OVER AS CMD OF PFC

Parminder Chopra has been appointed as Chairman and Managing Director (CMD), of Power Finance Corporation Limited (PFC) by Goyt, of India w.e.f. 14th August, 2023. Previously, she was holding the additional charge of Chairman and Managing Director (CMD), w.e.f 01.06.2023 and was Director (Finance), PFC since 1.07.2020.




With this, Smt. Chopra becomes the first woman to lead India's largest NBFC, PFC.

MP TRANSCO ENERGIZED 132 KV EXTRA HIGH VOLTAGE LINE FOR **BHOPAL METRO USING UNDERGROUND** CABLE FOR THE FIRST TIME IN THE STATE

MP. Transco has made another innovation, the first 132 KV underground line of the state has been energized successfully

at state capital Bhopal for metro rail project. M.P. Energy Minister Shri Pradyuman Singh Tomar told that for power supply to Bhopal Metro, Success has been achieved in energizing it by constructing an underground line by M.P. TRANSCO through Human Machine Interface technology from Transco's Bhopal SCADA cen-



Superintending engineer of MPTransco at Bhopal Mr. Rajesh Kumar Shandilya told that MP Transco made supply available upto 132 KV RSS substation of Bhopal Metro Subhash Nagar, M.P. Transco's constructed 132 KV Double circuit line of 2.1 KM from 132 KV Substation Chambal (Bhopal). For the first time in the state, this technology has been used for power

PNB AND TATA MOTORS FINANCE ENTER INTO PARTNERSHIP FOR CO-SOURCING OF COMMERCIAL VEHICLES

National Bank (PNB), nation's leading public sector bank, has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with Tata Motors Finance Solutions



Limited (TMFSL) for co-sourcing of Commercial Vehicles. The co-sourcing arrangement will provide simple and seamless financing solutions to fleet owners and commercial vehicle operators, while expanding and scaling MSME businesses across geographies. The MoU was exchanged between PNB MD&CEO Shri Atul Kumar Goel and TMFSL MD Samrat Gupta in the presence of PNB ED Shri M Paramasivam, PNB CGM Shri Sunil Kumar Chugh, PNB GM (D) Shri Lalit Taneja and TMFSL COO Shri Anand Bang, With a decades-strong on-ground network and extensive market presence, both PNB and Tata Motors Finance are uniquely positioned to transform and meet the varied requirements of the commercial vehicles and logistics sector.

CURTAIN RAISER OF 'ONE WEEK ONE LAB' EVENT OF CSIR-CMERI AT NEW **DELHI; PRESIDED OVER BY THE HON'BLE** MINISTER OF SCIENCE & TECHNOLOGY, **GOVT. OF INDIA**

The Curtain Raiser ceremony of One Week One Lab programme of CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI), Durgapur has been celebrated on 21st August, 2023 at CSIR-

National Physical Laboratory (NPL), New Delhi in the august presence of Dr. Jitendra Singh, the Hon'ble Minister of Science and Technology & Vice-President of CSIR, Dr. N. Kalaiselvi, Secretary, DSIR & Director General, CSIR, Dr. N. C. Mur-



mu, Director, CSIR-CMERI Durgapur, Prof. Venu Gopal Achanta, Director, CSIR-NPL, and other dignitaries from various institutes, industries and other organizations.

In this inaugural event, Hon'ble Minister launched and witnessed some of the nationally important technologies, developed by CSIR-CMERI like E-Tractor, Vehicle Mounted Mechanized Drain Cleaning System (VM-MDCS), Mob Control Vehicles (MCV), Integrated Municipal Solid Waste Management Disposal System (iMSWDS), etc. CSIR-CMERI also transferred the technology of iMSWDS to three MSMEs from Bihar, Rajasthan and West Bengal on Non-Exclusive basis for further commercialization and deployment. The commercial version of VM-MDCS machine, developed by one of the licensees of CSIR-CMERI was demonstrated in front of the Hon'ble Minister and other dignitaries present in the event.

Director, CSIR-CMERI presented the evolution of Tractors, starting from development of Swaraj, Sonalka to E-tractor as the major contribution towards society through scientific & technical interventions in the field of Mechanical Engineering. CSIR-CMERI has indigenously designed and developed Compact Electric Tractor named CSIR PRIMA ET11 primarily to cater to small and marginal farmers of India, which has been launched by the Hon'ble Minister. The Institute is also committed to continue this legacy and expertise towards development of various other technologies for Agricultural and Societal development.





www.bseindia.com.























दिनांक : 21-08-2023

क्षेत्रीय कार्यालय:- एससीओ 120-122, प्रथम तल सेक्टर 17-सी, चंडीगढ - 160017, दूरभाष : 0172-2713010, ई-मेल : cmmarc_chd@mahabank.co.in recovery_chd@mahabank.co.in

शाखा प्रबंधक, रेवाड़ी शाखा

नीलामी विक्रय सूचना

अधोवर्णित व्यक्तियों को एतद्रद्वारा सचित किया जाता है कि वे ऋण खातों के अंतर्गत निर्धारित अपने दायित्व का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं। अतएव उनसे विनती है कि वे 30–08–2023 को अथवा इससे पूर्व दायित्व तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करें और गिरवीकृत प्रतिभूतियों को विमोचित करें। ऐसा करने में विफल रहने पर उक्त प्रतिभतियों को बैंक द्वारा 30-08-2023 को मध्या. 11.00 बजे अथवा इस तिथि के बाद किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर बैंक के पूर्ण विवेक पर भावी सूचना के बिना सार्वजनिक नीलामी के अंतर्गत उधारकर्ता के व्यय पर बैंक परिसरों में बेच दिया जायेगा। पक्षकारगण जो स्वर्णाभषणों के क्रय हेत इच्छक हैं. वे नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा पता	ऋण की तिथि	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम एवं पता	नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एससीओ 3, ब्रास मार्किट, हुडा, सेक्टर 1, रेवाड़ी, हरियाणा — 123401	26.12.2022	60434023121	मुकेश, ग्राम जदरा (87)	नीलामी की तिथि पर बाजार मूल्य

फॉर्म नं. ३ (विनियम—15(1)(ए) / 16(३) देखें)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल, एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(३ व 4 मंजिल पर भी आवंटित अतिरिक्त जगह)
केस नं.: ओए/2172/2022
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1983 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन
एचडीएफसी बैंक बनाम रवि मंलिक व अन्य

को, (1) **एवि मलिक व अन्य** डी /डब्ल्यू/एस/ओ-आजाद सिंह मलिक पुत्र आजाद सिंह मकान नं. 104, सेक्टर 41, गुडगांव 12001 हरियाणा अन्य पता : ओम साई इंटरप्राइजेज मकान नं. 95, गली नं. 02, शिव कुंज, शनि बाजार रोड, संत नगर, बुराड़ी दिल्ली—110084 गुडगांव हरियाणा अन्य पता : ओम साई इंटरप्राइजेज म नं. 95 गती नं 02 शिव कुंज शनि बाजार रोड संत नगर बुराड़ी दक्षिण पश्चिम दिल्ली

चूंकि, ओए/2172/2022 **18.03.2023** को माननीय अध्यक्ष अधिकारी रजिस्ट्रार के समक्ष भूक, आर् / 2172 / 2022 **16.103.2023** की नाननाथ अध्यक्ष आवकार राजस्ट्रार के सनक सूचीबद्ध था। चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण ने **रू. 2321293.089 /** — के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायर अधिनियम (ओए) की धारा 19(4) के तहत उक्त आवदेन पर सम्मन / सूचना जारी की है। (दस्तावेज की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है) अधिनियम की धारा सामन / सूबना जारा को है। (दस्तावज का प्रांतचा के साथ आवदन सलगन है) आधानयम की धारी 19 की उप-धारा (4) के अनुपालन में, आप प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है .— (1) समन की सेवा के तीस दिनों के भीतर कारण बताओं कि क्यों आप दी गई छूट नहीं दी जानी चाहिए, (2) मूल आवेदनों की क्रम संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा विशिष्ट संपत्तियों व परिसंपत्तियों के अतिरिक्त संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना, (3) आप मूल ओवदेनों की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट की गई संपत्तियों व परिसंपत्तियों के अतिरिक्त संपत्तियों या परिसंपत्तियों से औल या तहत प्रकट का गई संपात्तया व पारसंपात्तया के आतारक्त संपात्तया या पारसंपात्तया सं डाल या निपटान करने से बाधित हैं, (4) आप न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी परिसंपत्ति तोस पर प्रतिभृति हित तैयार की गई है या मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट या विशिष्ट संपत्तियों व परिसंपत्तियों का अपने बिजानेस के साधारण कोर्स को छोड़कर बिकी, तीज या अन्यथा ह्यारा हरतांतरण नहीं करेंगे। (5) आप ऐसी परिसंपत्तियों पर हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ बनाए गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रियाओं का जमा और बिजानेस के साधारण कोर्स में प्रतिभूतित परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों व संपत्तियों की बिक्री द्वारा वसून की गई बिक्री प्रक्रियाओं के लिए खाते के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको आवेदक के लिए तैयार उसकी प्रति के साथ लिखित विवरण दायर करने और **26.09.2023 को सुबह 10.30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष प्रदर्शित होने का निर्देश दिया जाता है, असफल होने पर आनकी अनुपरिथति में सुनवाई व निर्णय

हस तिथि 28.04.2023 को इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर के तहत दिया गया । सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

> क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष

याचिकादाता कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के विषय में

मैसर्स विरला विसाबीरा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमर्शियल प्लाजा, द्वितीय तल, विंग-बी, रैडीसन ब्लू होटल, एन.एच. ८, महीपालपुर, नई दिल्ली-110037 में स्थित है

्याचिकादाता कम्पनी

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा, 18/08/2023 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबंधनों में कम्पनी को इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन, केन्द्र सरकार / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए—21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर सपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक को निम्नवर्णित पता : "पीठ . अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003" पर इस सूचना के प्रकाशन के चौदह (14) दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कते एवं हिते बिरला विसाबीरा प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / संदीप चावला (निदेशक) DIN: 01234119 पता : सी 1/187, जनक पुरी नई दिल्ली, दिल्ली-110058

हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड

सीआईएन : एल26942एचआर1958एफएलसी042301 पंजीकत कार्यालयः : द्वितीय तलः प्लॉट नं. ६८. सेक्टर ४४. गरूग्रामः हरियाणा–122002 फोन: +91 0124-4503700, फैक्स : +91 0124-4147698 ई.मेलः <u>investors.mcl@mycem.in;</u> वेबसाइट : <u>www.mycemco.com</u>

सूचना

तिथि : 21/08/2023

स्थान : नई दिल्ली

. <u>वार्षिक आम सभा</u> : एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए' तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक जपस्थिति के बिना वीडियो कॉफ्रेंसिंग (^{''}वीसी'') /अन्य ऑडियो विजअल साधनों (''ओएवीएम' के माध्यम से बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को प्रातः ११.०० बजे कम्पनी के सदस्यों की 64वीं वार्षिक आम बैतक आयोजित की जायेगी।

एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण एवं बोर्ड की

रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्ध होने वाले अन्य वांछित दस्तावेज सहित वित्त वर्ष 2022–23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के उन सदस्यों के पास केवल ई–मेल के माध्यम रं भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी (यों) के साथ पंजीकृत हैं सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कम्पनी की वेबसाइट www.mycemco.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश एजीएम की सचना में उपलब्ध होगें। वीसी/ओएवीएम के माध्मय से उपस्थित होने वाले सदस्यें को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से परिगणित किया जायेगा। कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर मतदान करने हेत् अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध करा रही है। इसकें अतिरिक्तः कम्पनी एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम (''ई—वोटिंग'') के माध्यम से मतदान की सविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध होंगी। यदि आपका ई-मेल आईडी पहले से ही कम्पनी के साथ पंजीकत हैं ते ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकत ई—मेल पते पर भेजे जायेगें । यदि आपक ई—मेल पता कम्पनी (डिपॉजिटरी(यों) भागीदार के साथ पंजीकत नहीं है तो कपया वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग हेत् लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :

भौतिक धारिता ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD-PoD 1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 द्वारा निर्धारित विधिवत भरे हुए फार्म ISR-1 के साथ, फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे दोनों ओर), पैन (पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन्ड प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्व:प्रमाणित स्कैन्ड प्रति) का उल्लेख करते हुए आरटीए के पास irg@integratedindia.in पर निवेदन भेजें।

यदि आप अपने बैंक खाते में वित्त वर्ष 2022–23 हेतु लाभांश राशि की सीधी क्रेडिट सुविधा हेतु अपने बैंक खाते का विवरण अपँडेट कराना चाहते हैं ते निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण उपलब्ध कराने होंगे:

(क) बैंक का नाम तथा शाखा का पता

(ख)बैंक खाते का प्रकार ।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 21 अगस्त 2023

(ग) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के क्रियान्वयन के पश्चात बैंक खाता नम्बर।

(घ) 9 अंकों का एमआईसीआर कोड नम्बर

(ड) 11 अंकों का आईएफएससी कोड

(च) कैंसिल चेक की एक स्कैन्ड कॉपी जिस पर प्रथम सदस्य का नाम हो । डीमैट धारिता अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने तथा अपने डीमैट खाते में बैंक खात विवरण अपडेट कराने हेतु कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क

करें और अपने डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया का अनुपालन करें। एजीएम तथा लाभांश पात्रता हेतु रिकार्ड तिथि : कम्पनी ने वित्त वर्ष 2022–23 हेतु एजीएम में उपस्थित होने तथा रु. ७/— प्रति इक्विटी शेयर, रु. १०/— प्रत्येक (अर्थात ७० प्रतिशत) लाभांश गप्त करने के सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य से बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 के 'रिकार्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित किया है। एजीएम में इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि कोई हो. एजीएम की तिथि से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को अदा कर दिया जायेगा।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वार मुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों द्वारा कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काट लेगी। उपयुक्त टीडीएस दर, जैसा लागू हो, निर्धारित करने में हमें सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के

राजेश रेलन

कंपनी सचिव

सीनियर वाइस प्रेसिडेंट-कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं

दिनांक: 21.08.2023

स्थान: नई दिल्ली

अनुसार अपेक्षित दस्तावेज जमा करें। कृते हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड PUBLIC NOTICE

for C/120A, Moti Nagar, Delhi-110015, between GAGAN MADAN of C-143A, Moti Nagai Kuldeepak of 5/36, Moti Nagar (buyers), and Anil Kumar Katyal and Narender V. Katyal o C/120A, Moti Nagar (sellers), docume with e-stamp IN-DL26194458385355T on Sen 20, 2021, is cancelled. The original deed is lost: FIR lodged at Moti Nagar police station ref 790108/2023, Aug 18, 2023. Cancellation deed executed mutually on Aug 19, 2023, frees Anil Kumar Katyal & Narender V. Katyal to use /sell the property. No dues from seller pending

PUBLIC NOTICE

"IkkJutt Jammu" has applied for the Change of Name of the Party from "IkKJutt Jammu" to "Ekam Sanatan Bharat Dal" and that anyone having any objection to the proposed name may send his objection within one month (30 days) on a plain paper etter, addressed to The Secretary (Political Party), Election Commission of India. Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi 110001. For Ankur Sharma President Ikk Jutt Jammu.

BAF India बुसान आटो फाईनेन्स इन्डिया प्रा0 लि0 (तीआईएन : U67190DL2007FTC162475)

सार्वजनिक सचना

आम जनता को सुचित किया जाता है कि 17 अगस्त, 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित बोर्ड संकल्प केअनुसरण में, बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत और प्रधान कार्यालय, जो वर्तमान में चौथी मुंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 में स्थित है, को **01 सितंबर, 2023** से निम्नलिखित नए पते पर थानांतरित कर दिया जाएगा ।

2-ई/8, तीसरी और चौथी मंजिल, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055



Insight Out

SBFC

or email

order@bsmail.in

सार्वजनिक सूचना यह सूचना दी जाती है कि हम, मैसर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लि., नेबी पंजीकरण सं. INZ000183631 तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एवं ग्रीएसई (लि.) का सदस्य है, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट डी-507, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, टर्भे, नवी मुंबई-400705 है, ने नीचे

١	उल्लाखत अधिकृत व्यक्ति (एपा) का समाप्त/स्वाकृति रद्द करने का प्राक्रया आरम्भ का हः-					
	एपी का	ट्रेड का	पता	सेबी पंजीकरण सं. एवं तिथि		
	नाम	नाम				
	दीपक खोसला	दीपक खोसला	एच-72 रिजवूड एस्टेट गलेरिया, डीएलएफ-IV गुडगाँव हरियाणा गुडगाँव, हरियाणा भारत, 122009	एनएसई-Ap0346083971 दिनांक 12-नवम्बर-2021 बीएसई-Ap01010301127068 दिनांक 15-नवम्बर-2021 148924 दिनांक 16-नवम्बर-2021		

ऊपरोक्त एपी के साथ सौदा करने वाले निवेशकों को इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया जात है। कृपया ध्यान दें कि एक्सचेंजों से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक एपी हमारे साथ अनुमोदित रहेंगे। किसी भी तरह प्रश्न के लिए ई-मेल आईडी-iseccompliance@icicisecurities.com/ ifahelpdesk@icicisecurities.com

> निदेशक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के आदेशानुस विजय चंडोक

> > कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिवृत्व अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशिय असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और निवम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मनोज कुमार और दुर्गेश** को 19.05.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00453825 की राशि रू.20,20,900.81 /- (रुपए बीस लाख बीस हजार नौ सौ और इक्यासी पैसे मात्र) और 18.05.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्ट जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 16.08.2023 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है। वेशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.20,20,900.81 /- (रुपए बीस लाख बीस हजार नौ सौ और इक्यासी पैसे मात्र) 18.05.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.एफएफ-302 (एम.आई.जी.) जिसका कवर्ड एरिया 51.09 स्के.मी.जो 550 स्के.फीट के बराबर पहली मंजिल पर (सामने एलएचएस) (रूफराइट्स के बिना) प्लॉट नं.ए-7/2 पर निर्मित डीएलएफ अंकुर विहार में स्थित, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद -201102, उत्त

दिनांक:16.08.2023 स्थान :गाज़ियाबाद

> प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटे

सही

प्रपत्र आईएनसी-26 सार्वजनिक सूचना [कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में तथा

एससीए साउथ एशिया पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U24231DL2009FTC189533), पंजीकृत कार्यालय 211, दूसरी मंजिल, चाणक्य कॉमप्लेक्स, बी-10-11, लक्ष्मी नगर, दिल्ली मेट्रो पिलर नं. 43 के निकट, दिल्ली ईस्ट दिल्ली डीएल 110092 में स्थित के मामले में

रतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 09 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के पुष्टीकरण की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।

कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पता बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास नीचे उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:

पंजीकृत कार्यालयः 211, दूसरी मंजिल, चाणक्य कॉमप्लेक्स, बी-10-11, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, मेट्रो पिलर नं. 43 के निकट, दिल्ली ईस्ट दिल्ली डीएल 110092

> एससीए साउथ एशिया पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से मनीष ललितचंद्र घीया

(निदेशक) दिनांक: 22/08/2023 स्थानः दिल्ली डीआईएनः 00542306

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्ववॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स ग्राम चकला, अंघेरी—कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई—400059 अधिग्रहण सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(२) के अनुसार)

नथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिन्हें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता∕ सह–उधारकर्तागण राषि का प्रतिभृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता∕ सह–उधारकर्ताओं तथा जनसाधा को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्परित का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनिय की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन

करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। वधारकर्ताओं का नाम एवं एवा

तथा मांग सूचना की तिथि	तथा अधिग्रहण की तिथि	में मांगकृत राशि (रु.)
1. ग्रीन बेल आइस क्रीम, 2. आशीष कुमार चावाचा, 3. गौरव माटी, 4. शशि भूषण, समी का पता : 720, माधोपुरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201009 है। मांग सूचना दिनांक : 14 जून 2023 ऋण संख्या '402106000005487 (PR00746548), '4021060000072298 (PR00912314) और '402106000074630 (PR00923225)	मद — 1 संपत्ति मकान सं. 720 के समस्त भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 95 वर्ग गज अर्थात् 79.429 वर्ग मीटर आवृत्त क्षेत्रफल 238.288 वर्ग मीटर हैं, जो खसरा सं. 70 में से, ग्राम माधोपुरा, गाजियाबाद तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित तथा निम्मानुसार परिसीमित है : पूर्व : अंगूरी देवी का मकान, पश्चिम : स्वक्र 10 फुट, जत्तर : सड़क 10 फुट, दक्षिण : मकान दीगर मलिक मद — 2 संपत्ति मकान सं. 258 के समस्त भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग गज अर्थात् 25.91 वर्ग मीटर आवृत्त क्षेत्रफल 7.43 वर्ग मीटर, जो माधोपुरा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है तथा संपत्ति निम्मानुसार परिसीमित है : पूर्व : अंगूरी देवी का मकान, पश्चिम : प्लॉट दीगर मलिक, उत्तर : गती 10 फुट, दक्षिण : पम्नो देवी का मकान और सड़क।	रु. 27,39,642/— (रुपये सत्ताईस लाख उनतालिस हजार छह सौ बयालीस मात्र) 13 जून 2023 के अनुसार

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण, प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की अं भामंत्रित किया जाता है।

स्थान : गाजियाबाद, दिनांक : 22–08–2023

हस्ता /- (प्राधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटे

विनायक वाणिज्य लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 वेबसाइट: www.vinayakvanijya.com, फोन: 011 - 4367 5500, ईमेल आईडी: wanijya1985@gmail.com सीआईएन: L52110DL1985PLC020109

38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

रतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि विनायक वाणिज्य लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 14 सितंबर 2023 को दोपहर 02:30 बजे फ्लैट नंबर 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019 पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्याल में आयोजित की जायेगी।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

जिन सदस्यों के पास डीमैट फॉर्म में शेयर हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि र डीमैटरियलाइन्ड शेयरों के मामले में एनएसडीएल/सीडीएसएल ('डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट') से संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, बी-25/1,1वीं मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण -2. राणा मोटर्स के पास, नई दिल्ली - 110020 ('आरटीए') को भेजें या अपनी ईमेल आईडी पंजीकत करने के लिए पैन कार्ड और पते वे प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ हमारे आरटीए को investor.services@rcmcdelhi.com पर ई-मेल लिखें

सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यावसायिक लेनदेन पर रिमोट ढंग से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। रिमोट ई-वोटिंग 11 सितंब 2023 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होकर 13 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे) तक चलेगी। ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि 07 सतंबर, 2023 होगी। भौतिक शेयरधारकों या ऐसे शेयरधारकों द्वारा मतदान की प्रक्रिया शामिल है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर हासिल किए हैं और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गये हैं, उनके लिए ई-वोटिंग प्रणाली वे गध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी अधिनियम की धारा 91 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार यह भी नोटिस दिया जाता है कि एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस् का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 14 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी एजीएम के दौरान बैलट प्रक्रिया के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान की व्यवस्था करेगी। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग वे ग्रध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सदस्य जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

38वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट यानी ँ३३स्र२ः/ www.vinayakvanijya.com/invester.html और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com र उपलब्ध कराई जाएगी। विनायक वाणिज्य लिमिटेड के लिए

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI 🖈

शाखा : डीएसएस 84-85, हुडा मार्किट, सेक्टर 40, गुड़गांव, हरियाणा - 122003, दूरभाष : 0124-2581381/4074518, इमेल : gurgaonsector40.chandigarh@bankofindia.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1) देखें] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ इंडिया** के **प्राधिकृत अधिकारी** के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) को खातों के समक्ष अंकित तथा यहां इसमें इसके उपरांत निम्न तालिका में उल्लेखित तिथि को घारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ता(ओं) को बकाया राशि का, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिमुगतान करने को

कहा गया था। - उचारकर्ता(गण) राषि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अंतएव एतदृहारा उचारकर्ता(ओ) तथा जनसाबारण को सूचित किया जाता है कि अंबोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, खाता के समक्ष यहां निम्नांकित तिथि को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता(ओं) को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति न कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव, सेक्टर 40 शाखा** वं

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्श में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्राक्धानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	मांग सूचनाओं की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचनाओं की तिथि के अनुसार बकाया राशियां	अचल संपत्ति/यों का विवरण
उधारकर्ता(गण) : मैसर्स श्री एचडी एंटरप्राइजेज (स्वामिनी —	02-05-2023	17-08-2023	रु. 85,14,594.27 और उस पर ब्याज	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड सं. 28 में समाहित, खेवट/खाता सं.
				ाजिलपुरा झारसा, तहसील बादशाहपुर, जनपद
	था इस प्रकार १	परिसीमित हैं: उत्त	र— अन्य की संपत्ति, दक्षिण	🛏 25 फुट सड़क, पूर्व — अन्य की संपत्ति,
पश्चिम — २७ फुट सड़क।				

प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 21-08-2023 स्थान : गुड़गांव

HDFC BANK संविधिक प्रकोष्ट राजेन्द्र स्पेस, प्लॉट नं. 6, सेक्टर-16बी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा-282007

> मांग सूचना प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से नीचे उल्लेखित प्रत्याभूत ऋण हासिल किया है। नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथ सह-कर्जदारों के ऋणों को उनकी संबंधित सम्पतियाँ गिरवी पर रखकर प्रत्याभूत किया गया है। चूंकि उनके द्वारा संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों को पूरा ज्रने मे विफल तथा अनियमित होने के कारण आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के प्रति उनके द्वारा बकाया रकमों का उल्लेख नीचे सारणी में किया गया है तथा उक्त रकम पर आगे के ब्याज भी लागू दर पर भुगतेय होगा तथा उसे उनके संबंधित

सुविधा की प्रकृति/	कजदारा तथा सह-कजदारा/	13(2) के अनुसार बकाया	प्रत्याभूत सम्पत्तिया	एनपीए की
खाता सं.	गिरवीदाता का नाम	रकम/सूचना की तारीख	का विवरण	तारीख
नकदी ऋण	1. मैसर्स विहारी जी इंटरप्राइजेज, अपने साझेदार श्री गौरव	दि. 04.07.2023	मोह. लेहरी कम्पाउंड,	05,02,2023
50200031423899	बंसल, पिता श्री अनिल कुमार बंसल तथा संजय बंसल, पिता	को रु. 49,51,294/-	फिरोजाबाद 283203 में	
डब्ल्यूसी मियादी ऋण	श्री हरि शंकर बंसल, पताः 54/1 गली नं. 1, सरस्वती	/सूचना की तारीखः	स्थित सम्पत्ति नं. 42/6डी,	
जीईसीएल	नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203 (कर्जदार)।	14.07.2023	नगरपालिका रिकार्ड में	
8399748	श्री राधे श्याम वंसल, पिता श्री हिर शंकर वंसल, पताः		नगरपालिका सं. 42/6सी	
	42/6 डी, लहरी कम्पाउंड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-		के रूप में दर्ज	
	283203 (गारंटर एवं गिरवीदाता)		चौहदीः उत्तरः श्री बाबू राम	
	3. श्री गौरव बंसल, पिता श्री अनिल कुमार बंसल, पताः		गुप्ता तम्बाकू वाले की सम्पत्ति,	
	42/6 डी, लहरी कम्पाउंड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-		दक्षिण ः श्री सुधीर कुमार का	
	283203 (साझेदार एवं सह-कर्जदार)		मकान अब कल्लू (मामा होटल	
	 श्री संजय बंसल, पिता श्री हिर शंकर बंसल, पताः 		वाले) का, पूर्वः गली-रास्ता,	
	42/6 डी, लहारी कम्पाउंड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-		पश्चिमः श्री अनिल कुमार बंसल	
	283203 (साझेदार एवं गिरवीदाता)		एवं श्री मुकेश बंसल की सम्पत्ति	

. चूंकि सुबनाएं आपको आपके मूल आवास/लाम के लिए व्यवसायिक स्थल/व्यक्तिगत कार्य करने वाले पते पर मेजी गई थी जो हमारे पास वापस नहीं आई। हमलो इस सुबना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। आपको एतद्द्वारा इस सूबना के 60 दिनों के अंदर उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन ऊपर उल्लेखित क्षानी के अने किया के साथ संबंधित के साथ है जा निर्माण राजधाति है से पूजा के छाता कर जिसके जाना के बात करने को कहा जाता है, अन्यथा वैक सभी देयताओं के साथ संबंधित तारीखों से उस पर अनुबंधकीय दर पर ब्याज तथा अन्य लागतों, युन्कों इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा वैक ऊपरोक्त उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन सभी अथवा किसी भी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम

की धारा 13(13) के मद्देनजर आप ऊपर उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। कृते एचडीएफसी बैंक लि स्थान : फिरोजाबाद अधिकृत अधिकार्र

SBFC

एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट सं. 103, पहली मंजिल, सीएंडबी स्क्वायर, संगम कॉमप्लेक्स, ग्राम चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार) वृंकि <mark>एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड</mark> के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिमूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथ

प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा झरा संबंधित रकम चकता करने में असफल रहने के कारण एतदद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदारों एवं जनसाधारण को

सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने संबंधित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों . प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेषकर कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति के संबंध में कोई भी सौदा **एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता तथा	सम्पत्ति का विवरण एवं	कब्जा सूचना में मांग
मांग सूचना की तारीख	कब्जा की तारीख	की गई रकम (रु.)
1. ऋषभ शर्मा	खसरा नं. 121-एम, सुभाष नगर कॉलोनी ग्राम	10 दिसम्बर, 2022
2. श्याम लाल शर्मा	ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला	को रु. 2004083/-
सभी का पता 26 गली नं. ए1, सुभाष नगर, ज्वालापुर	हरिद्वार में स्थित सम्पत्ति एक मकान कुल क्षेत्रफल	(रुपये बीस लाख चार
गर्वन्मेंट प्राइमरी स्कूल के निकट, हरिद्वार, हरिद्वार,	109,35 वर्ग मीटर, अच्छादित क्षेत्रफल 74,36	हजार तिरासी मात्र)
उत्तराखंड-249407	वर्ग मीटर का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	
मांग सूचना की तारीखः 16 दिसम्बर, 2022	कब्जा की तारीखः 17-अगस्त-2023	
ऋण नं.: 28600001770DH (PR00692645)		
1. मनोहर लाल, 2. आशा सोनी, मका नं. 65, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड-249407 मांग सूचना की तारीखः 16 नवम्बर, 2022 ऋण नं.: 28600001528DH (PR00692631)	खसरा नं. 2127/1 एमआई, मोहल्ला पाण्डे वाला, ग्राम ज्वालापुर हरिद्वार, उत्तराखंड-249407, कुल क्षेत्रफल 78.96 वर्ग मीटर, अच्छादित क्षेत्र 55.88 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 23.08 वर्ग मीटर, अच्छादित क्षेत्रफल 55.88 वर्ग मीटर, कुल अच्छादित क्षेत्रफल 55.88 वर्ग मीटर, कुल अच्छादित क्षेत्रफल 111.76 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वागीण हिस्सा, प्लॉट की चौहदी: पूर्व: 28 फीट 4 इंच, पश्चम: 28 फीट 4 इंच, वत्तर: 30 फीट, दक्षिण: 30 फीट, कुल क्षेत्रफल 850 वर्ग फीट। कब्जा की तारीख: 17-अगस्त-2023	14 फरवरी, 2023 को रू. 1071963/- (रुपये दस लाख इकहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ मात्र)
त. रिव कुमार साह, त. रेखा देवी, ग्राम रवाली महदूद, प्रखंड बहादराबाद, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड 249403 मांग सूचना की तारीखः 15 मई, 2021 ऋण नं.: 28600002153DH (PR00692664)	प्लॉट नं. 788 का हिस्सा, खसरा नं. 1401, परगना रुड़की, शिव विहार कॉलोनी, ग्राम सलेमपुर मेहदूद रूरल, उत्तराखंड 249402 वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। कब्जा की तारीखः 17-अगस्त-2023	15 फरवरी, 2023 को रु. 1108098/- (रुपये ग्यारह लाख आठ हजार अनठानये मात्र)

कर्जदार का ध्यान प्रत्यामूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड स्थान : हरिद्वार तारीखः 22/08/2023

4687 08/08/23 फार्म संख्या 13 (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के

नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

Date of Inspection: 18.09.2023 Date of Auction: 21.09.2023 आर.सी. संख्या: 334/2019 आगामी तिथि- 29.09.2023 Report Date: 29.09.2023

Court Notice by bank: 08.08.2023

Spot Notice by bank: 18.08.2023

प्रकरण का उनवान : एस.बी.आई. बनाम

गौरव अचार उद्योग

विक्रय की उद्घोषणा कार्यालय वसली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण पहली मंजिल, सुधरमा-।।, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान) (न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

्न्य।यालय क्षत्राघिकार राजस्थान राज्य) यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 78,66,617.00 रूपये (अक्षरे अठहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सत्रह मात्र) एवं व्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ.ए. नं. 357 / 2015 दिनांकित 21.05.2019 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 334 / 2019 जारी किया गया है।

एवं यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है। एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 16.07.2019 तक ब्याज एवं खर्चे सहित कुल 39,28,125.00 रूपये (अक्षरे उनचालीस लाख अठ्ठाईस हजार एक सौ पन्नीम मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं। तददारा यह मचित किया जाता है कि किसी भी स्थान आदेश की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति नीलामीकर्ता अध्वक्ता श्री अशोक सिंघल (मो. 9414268428)

हुारा दिनांक २ ..०९.२०२३ को विक्रय की जायेगी। अन्य जानकारी के लिए बैंक अधिकारी नीलामीकर्ता अधिवक्ता श्री अशोक सिंघल (मो. 9414268428) से पंपर्क करना होगा। वह कि उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गईं अनुसुची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित

किए गए हैं, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति 'जैसी हैं, जहां है एवं जैसी स्थिति में हैं ' के आधार पर विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विकय अनसची में दिये गये लॉट के अनसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विकय तरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विकय शरू करने र पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को साँपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेर्नु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निवंहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास मे हिस्सा नहीं लेगा। यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शतों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शतों कं ।ध्यधीन होगा– 1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अधोहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं। लेकिन अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा के किसी भी ालत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब देह नहीं होगा। 2. संपत्ति 1 का आरक्षित मूल्य रू. 01.03 करोड़ (अक्षरे रूपये एक करोड़ तीन लाख मात्र) एवं संपत्ति 2 क भारक्षित मूल्य रू. 01.51 करोड़ (अक्षरे रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख मात्र) रूपये होगा, जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। नीचे वर्णित सम्पत्ति में से सम्पत्ति नम्बर 1 की नीलामी हो जाने पर सम्पत्ति नम्बर 2 की नीलामी नही की जावेगी। 3. वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढाना है. विक्रय करने वाले अधिकारी द्वार नेर्धारित की जावेगी। बोली की राशि का बोलीदाता के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुम्न दुबारा नीलामी के लिए रख दिया जावेगा। 4. बोलीदात को बरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे हैं , प्रस्तुत करने होंगे। 5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जब रेसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा। 6 लेखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनयम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगिन करने का अधिकार होगा। 7 बल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय क मंचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखेकर विक्रय की जावेगी। 8. अचल सम्पत्ति वे तमले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि घरोहर राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय क ांचालन कर रहा है, जमा कराना होगी और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को जमा करानी होगी जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलत नहीं होगा। उपरोक्त समयाबधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुन: विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यतिक्रमी के द्वारा जमा राशि को अद्योहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोजित किए जाने के पश्चात् जप सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 0 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा। सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट की संख्या	अन्य सह मालिकों का नाम सिहत बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है।	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मुल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
(1)	Property No. 1: Factory land and building situated at khasra No. 1394/1190 converted to commercial land use Admeasuring 10839.55 sqm. situated at Randheer Garh, Weir, Distt. Bharatpur Property No. 2: Remaining part of Khasra No. 1394/1190 admeasuring 6 Bigha 6 Biswa situated at Randheer Garh, Weir, Dist. Bharatpur.	આવવારા વહા	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं		
सी	सील मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 07.08.2023 को जारी। वसूली अधिकारी-11, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर					

हस्ता. अंकित अग्रवा पूर्णकालिक निदेशक